357

[2022] 13 एस. सी. आर 357

ए.

माखन सिंह

बनाम

हरियाणा राज्य

(2010 की आपराधिक अपील संख्या 1290) 16 अगस्त, 2022

बी.

[बी**.** आर**.** गवई और

पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा**,** जे**.** जे**.]**

साक्ष्य-दो मृत्यु घोषणाएँ-डी. डब्ल्यू.-1 द्वारा दर्ज की गई पहली मृत्यु घोषणा में, मृतक ने अपीलार्थी और उसके परिवार को दोषमुक्त कर दिया-हालाँकि, पी. डब्ल्यू.-6 द्वारा दर्ज की गई दूसरी मृत्यु घोषणा में, मृतक ने अपीलार्थी और उसके माता-पिता को फंसाया-ट्रायल कोर्ट ने अपीलार्थी यू/एस को दोषी ठहराया।304-आई. पी. सी. के बी और उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई-उच्च न्यायालय ने सजा को 10 साल से घटाकर 7 साल कर दिया-अपील पर, अभिनिर्धारित कियाःपहली मृत्यु घोषणा में, पीडब्लू-1 डॉक्टर ने मृतक की जांच की थी कि क्या वह मानसिक रूप से स्वस्थ है और बयान देने के लिए होश में है-प्रमाणन के बाद, डीडब्ल्यू-1 ने भी खुद को संतुष्ट किया कि मृतक स्वेच्छा से बयान दे रहा था या नहीं-हालांकि, दूसरी मृत्यु घोषणा मृतक की फिटनेस के संबंध में डॉक्टर द्वारा जांच किए बिना दर्ज की गई थी-इसके अलावा, पीडब्लू 6 ने खुद स्वीकार किया कि पीडब्लू 13 (मृतक के पिता) और पीडब्लू 11 (मृतक की बहन) अस्पताल में मौजूद थे-इसलिए उसके रिश्तेदारों द्वारा ट्यूशन देने के बाद दूसरी मृत्यु घोषणा दिए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है-डीडब्ल्यू-2 (डीएसपी) ने अपने बयान में कहा था कि बयान मृतक द्वारा उसके रिश्तेदारों द्वारा पढ़ाए जाने के बाद दिया गया था-साथ ही, अभियोजन पक्ष ने भी नहीं किया था।

सी.

डी.

ई.

एफ.

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

जी.

अभिनिर्धारित किया कि **1.** पहली मृत्यु घोषणा **(**उदा**.** डी**.** ओ**./**सी**.)** डी**.** डब्ल्यू**.-1** द्वारा दर्ज किया जाता है।उक्त के अवलोकन से पता चलता है कि मृतक का बयान दर्ज करने से पहले**,** पीडब्लू**-1** ने जांच की थी कि क्या वह बयान देने के लिए मानसिक और सचेत स्थिति में थी।प्रमाणीकरण के बाद**,** डी**.** डब्ल्यू**.-1** ने खुद को संतुष्ट किया कि क्या

एच.

357 ए.

358 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 13 एस. सी. आर.

मृतक स्वेच्छा से बयान दे रही थी या नहीं और उसके बाद अपना बयान दर्ज किया।उक्त मृत्यु घोषणा **(**उदा**.** डी**.** ओ**./**सी**.)** का समर्थन पी**.** डब्ल्यू**.-1** द्वारा इस टिप्पणी के साथ भी किया जाता है कि मृतक बयान देते समय होश में था।डी**.** डब्ल्यू**.-1** ने यह भी बयान दिया है कि बयान देने के बाद भी**,** उसने मृतक से पुष्टि की कि क्या बयान उसके द्वारा स्वेच्छा से दिया गया था।**[**पैरा **16] [365-**ए**-**सी**]**

बी.

2. इसके विपरीत**,** जहाँ तक दूसरी मृत्यु घोषणा की बात है **(**उदा**.** पीई**)** जिसे एक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पीडब्लू**-6** द्वारा **3** दिनों के बाद दर्ज किया गया था**,** यह बयान देने के लिए मृतक की योग्यता के संबंध में डॉक्टर द्वारा जांच किए बिना दर्ज किया गया था।हालांकि बयान अस्पताल में दर्ज किया गया है और हालांकि डॉक्टर उपलब्ध थे**,** पीडब्लू**-6** ने अस्पताल में उपलब्ध डॉक्टरों से मृतक की चिकित्सा स्थिति की जांच कराना आवश्यक नहीं पाया।यह भी ध्यान देने योग्य है कि पीडब्लू**-6** ने स्वयं स्वीकार किया है कि पीडब्लू**-13)** और पीडब्लू**-11,** मृतक के पिता और बहन अस्पताल में मौजूद थे।दूसरी मृत्यु घोषणा की संभावना **(**उदा**.** पी**.** ई**.)** उसके रिश्तेदारों द्वारा पढ़ाए जाने के बाद दिए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है।**[**पैरा **17] [365-**डी**-**ई**]**

सी.

डी.

3. यह भी ध्यान देने योग्य है कि अभियोजन पक्ष ने डी**.** डब्ल्यू**-1** और डी**.** एस**.** पी**. (**डी**.** डब्ल्यू**-2)** से पूछताछ नहीं की थी।इसलिए यह आई**.** ओ**.** की निष्पक्षता और निष्पक्षता के संबंध में एक गंभीर संदेह पैदा करता है। इसके अलावा**,** यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक ही साक्ष्य के आधार पर**,** निचली अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए**,** अपीलार्थी के पिता और माता को बरी कर दिया है।मामले के उस दृष्टिकोण में**,** अपीलार्थी को उसी साक्ष्य पर दोषसिद्धि अनुचित थी।**[**पैरा **19] [365-**एच**; 366-**ए**]**

ई.

एफ.

4. अतः**,** यह न्यायालय यह मानता है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में**,** पहली मृत्यु घोषणा **(**उदा**.** डी**.** ओ**./**सी**.)** को दूसरे **(**उदा**.** पीई**)**।किसी भी मामले में**,** संदेह का लाभ जो निचली अदालत द्वारा अन्य अभियुक्त को दिया गया है**,** वर्तमान अपीलार्थी को समान रूप से दिया जाना चाहिए था**,** जब तीनों अभियुक्तों के खिलाफ साक्ष्य पूरी तरह से समान था।**[**पैरा **20] [366-**बी**-**सी**]** ए

जी.

एच.

359

माखन सिंह बनाम हरियाणा राज्य ए

हरजित कौर बनाम पंजाब राज्य **(1999) 6** एस**.** सी**.** सी**. 545:1999 (5)** जे**.** टी**. 317;** सायराबानो बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2007)**

12 एससीसी 562:[2007] 2 एस. सी. आर. 354; शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2008) 4 एस. सी. सी. 265:[2008] 2 एससीआर 959;

मुन्नवर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2010) 5 एस. सी. सी. 451; लखन

बनाम एमपी राज्य (2010) 8 एससीसी 514:[2010] 9 एससीआर 705; सुधाकर बनाम एम. पी. राज्य (2012) 7 एस. सी. सी. 569:[2012]

बी.

7 एस**.** सी**.** आर**. 128;** राजू देवडे बनाम महाराष्ट्र राज्य

(2016) 11 एससीसी 673:[2016] 3 एससीआर 818; कश्मीरा

देवी बनाम उत्तराखंड राज्य **(2020) 11** एससीसी **343:[2020] 1** एससीआर **152;** यू**.** पी**.** राज्य बनामवीरपाल **(2022) 4**

एस**.** सी**.** सी**. 741-**संदर्भित।

सी.

संदर्भित विधि निर्णय

[2007] 2 एससीआर **354**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7**

[2008] 2 एससीआर **959**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7**

डी.

[2010] 9 एससीआर **705**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7**

[2012] 7 एससीआर **128**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7**

[2016] 3 एससीआर **818**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7**

ई.

[2020] 1 एससीआर **152**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2010 की आपराधिक अपील सं. 1290।

सी. आर. एल. में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 15.05.2009 के निर्णय और आदेश से। 2002 की अपील No.1189-SB।

एफ.

आर. के. राठौर, सुदर्शन सिंह रावत, सुश्री साक्षी एस. रावत, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

जी.

पीयूष हंस, सुश्री अन्नू सिंह, नवीन गुप्ता, डॉ. मोनिका गुसैन, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

एच.

360

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 13 एस सी आर।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. आर. गवई, जे.

1. अपीलार्थी-माखन सिंह ने 2002 की आपराधिक अपील में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित 15 मई 2009 के फैसले से व्यथित होकर इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसके अनुसार उच्च न्यायालय ने हालांकि दी गई सजा को 10 साल से घटाकर 7 साल कर दिया, लेकिन भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 304-बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए 1998 के सत्र मामले संख्या 55 में निचली अदालत द्वारा दर्ज 13/16 जुलाई 2002 के फैसले और दोषसिद्धि के आदेश से सहमति व्यक्त की।

बी.

सी.

2. मृतक मंजीत कौर की शादी अपीलार्थी-माखन सिंह से 28 जनवरी 1996 को हुई थी।यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि अपीलकर्ता मृतक मंजीत कौर के माता-पिता से दहेज की मांग करता था।अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलार्थी की मांगों को स्वीकार करते हुए मृतक मंजीत कौर के माता-पिता ने उसे 1,000 रुपये की राशि का भुगतान किया था।अपीलार्थी ने फिर से 2 लाख रुपये की राशि की माँग की।अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलार्थी ने उक्त राशि का उपयोग मास्को जाने के लिए किया था।हालांकि, मार्च 1998 में मास्को से वापस आने के बाद, उसने फिर से मृतक मंजीत कौर को प्रताड़ित किया और उसे 6 लाख रुपये लाने के लिए कहा क्योंकि वह अमेरिका जाना चाहता था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यातना से तंग आकर मृतक मंजीत कौर ने 21 अप्रैल 1998 को जहरीले पदार्थ का सेवन किया था।मृतक मंजीत कौर को अपीलार्थी शुरू में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लाडवा ले गया और उसके बाद, उसे L.N.J.P अस्पताल, कुरुक्षेत्र भेजा गया।आईडी1 अस्पताल से मृतक मंजीत कौर को कुरुक्षेत्र में डॉ. एच. के. सोबती (पीडब्लू-1) के एक निजी नर्सिंग होम में ले जाया गया, जहाँ उन्हें भर्ती कराया गया।

डी.

ई.

एफ.

3. सुश्री वाणी गोपाल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कुरुक्षेत्र (डी. डब्ल्यू.-1) ने मृतक मंजीत कौर (पूर्व. डी. ओ./सी.), जिसमें मृतक ने कहा कि वह बुखार से पीड़ित थी और चूंकि कई दवाएं अंगिथी पर पड़ी थीं, गलती से उसने हरे रंग की दवा ले ली।ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद मृतक मंजीत कौर के माता-पिता कमलेश कौर (पीडब्लू-11) और भान सिंह (पी) डब्ल्यू-13) अगली सुबह अस्पताल पहुंचे।24 अप्रैल 1998 को, उन्होंने मृतक मंजीत कौर का बयान Cr.P.C की धारा 164 के तहत दर्ज करने का अनुरोध किया। इस तरह के अनुरोध पर, सुश्री कंचन नरियाला, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कुरुक्षेत्र ए

जी.

एच.

361

माखन सिंह बनाम हरियाणा राज्य [बी. आर. गवई, जे.] ए.

(पीडब्लू-6) ने मृतक मंजीत कौर (पूर्व। पी. ई.) 24 अप्रैल 1998 को, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पति ने रुपये की मांग की थी। अमेरिका जाने के लिए 6 लाख। उक्त मृत्यु घोषणा के अनुसार (उदा. पीई), अपीलार्थी के साथ-साथ उसके माता-पिता ने मृतक मंजीत कौर को उक्त जहरीला पदार्थ पिलाया।दूसरी मृत्यु घोषणा के आधार पर (उदा. पी. ई.), 25 अप्रैल 1998 को एक एफ. आई. आर. दर्ज की गई थी।उक्त मृत्यु घोषणा के बाद (उदा. पीई) दर्ज किया गया था, उप-निरीक्षक गुरुद्वारा राम (पीडब्लू-14), जांच अधिकारी (संक्षेप में 'आईओ') ने उसका मौखिक बयान दर्ज किया (पूर्व। पीवी) 28 अप्रैल 1998 को।28 अप्रैल 1998 को, मृतक मंजीत कौर को पीजीआईएमएस, चंडीगढ़ भेजा गया, जहाँ 9 मई 1998 को उनकी मृत्यु हो गई।

बी.

सी.

4. जांच पूरी होने पर, हालांकि डी. एस. पी. (डी. डब्ल्यू.-2) के. के. राव, जिन्होंने आरोपी को निर्दोष पाया, उप-निरीक्षक गुरुद्वारा राम (पी. डब्ल्यू.-14), आई. ओ. की राय थी कि मुकदमे के लिए पर्याप्त आधार थे और इसलिए, उन्होंने आरोप पत्र दायर किया।आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप तय किए गए। मुकदमे के समापन पर, निचली अदालत ने अपीलार्थी को आईपीसी की धारा 304-बी के तहत दोषी ठहराया। हालांकि, निचली अदालत ने पाया कि अन्य दो आरोपी, यानी अपीलार्थी के माता-पिता संदेह का लाभ प्राप्त करने के हकदार थे और उन्हें बरी कर दिया।अपीलार्थी को 10 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दायर एक अपील में,

हालांकि उच्च न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत दोषसिद्धि की पुष्टि की, लेकिन उसने दी गई सजा को घटाकर 7 साल कर दिया।इससे व्यथित होने के कारण, वर्तमान अपील।5. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री आर. के. राठौर और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री पीयूष हंस को सुना है।

डी.

ई.

एफ.

6. श्री राठौर ने प्रस्तुत किया कि निचली अदालत और अपीलीय अदालत इस बात को ध्यान में रखने में विफल रहे हैं कि पहली ही मृत्यु घोषणा (उदा. डीओ/सी), मृतक मंजीत कौर ने कहा था कि उसने गलती से दवा का सेवन कर लिया था।इसलिए उन्होंने कहा कि मृत्यु दुर्घटनावश हुई थी।उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि दूसरी मृत्यु घोषणा (उदा। पीई), जो 3 दिनों के बाद दर्ज किया गया था, मृतक मंजीत कौर के माता-पिता द्वारा अपीलार्थी को फंसाने के लिए उकसाने के बाद दर्ज किया गया था।उन्होंने प्रस्तुत किया कि परस्पर विरोधी मृत्यु घोषणाओं के मामले में, अभियुक्त संदेह का लाभ प्राप्त करने का हकदार है।इसलिए उन्होंने कहा कि दोषसिद्धि के आदेश को दरकिनार किया जाना चाहिए।

जी.

एच.

7. श्री हंस ने दृढ़ता से कहा कि प्रत्येक अंतिम घोषणा की स्वतंत्र रूप से सराहना की जानी चाहिए।उन्होंने प्रस्तुत किया कि नीचे की अदालतों ने सही पाया है कि पहली मृत्यु घोषणा (उदा। डीओ /ग) मृतक मंजीत कौर द्वारा अपने पति के प्रभाव में दी गई थी, जबकि दूसरी मृत्यु घोषणा (उदा। पी. ई.) उनके द्वारा स्वतंत्र रूप से उनकी स्वतंत्र इच्छा से दिया गया था।उन्होंने आगे कहा कि तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों को देखते हुए, इस न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।श्री हंस ने अपनी प्रस्तुति के समर्थन में निम्नलिखित अधिकारियों पर भरोसा किया हैः

बी.

हरजित कौर बनाम पंजाब राज्य **1,** सायराबानो बनाम महाराष्ट्र राज्य **2,** शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य **3,** मुनव्वर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **4,** लखन बनाम मध्य प्रदेश राज्य **5,**

शुधारक बनाम मध्य प्रदेश राज्य **6,** राजू देवडे बनाम महाराष्ट्र राज्य **7,** कश्मीरा देवी बनाम उत्तराखंड राज्य **8** और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवीरपाल **9.**

सी.

8. मृत्यु घोषणा के संबंध में कानून को इस न्यायालय द्वारा लखन (उपरोक्त) के मामले में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें न्यायालय ने इस मुद्दे पर विभिन्न मौखिक निर्णयों पर विचार किया और इस प्रकार टिप्पणी कीः

डी.

"21. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मृत्यु घोषणा के मुद्दे पर कानून को इस प्रभाव से संक्षेपित किया जा सकता है कि यदि अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मृत्यु घोषणा सही और विश्वसनीय है, तो किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे समय में दर्ज किया गया है जब मृतक घोषणा करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से फिट था और यह किसी भी शिक्षण/दबाव/संकेत के तहत नहीं किया गया है; यह दोषसिद्धि दर्ज करने का एकमात्र आधार हो सकता है।ऐसी स्थिति में किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है।यदि कई मृत्यु घोषणाएँ हैं और उनके बीच विसंगतियाँ हैं, तो आम तौर पर, मजिस्ट्रेट की तरह उच्च अधिकारी द्वारा दर्ज की गई मृत्यु घोषणा पर भरोसा किया जा सकता है, बशर्ते कि इसकी सच्चाई के बारे में किसी भी संदेह को जन्म देने वाली कोई परिस्थिति न हो।यदि ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनमें घोषणा की गई थी, स्वेच्छा से नहीं और यहां तक कि अन्यथा भी, इसका समर्थन नहीं किया जाता है

ई.

एफ.

1 (1999) 6 एससीसी 545 2 (2007) 12 एससीसी 562 3 (2008) 4 एससीसी 265 4 (2010) 5 एससीसी 451 5 (2010) 8 एससीसी 514 6 (2012) 7 एससीसी 569 7 (2016) 11 एससीसी 673 8 (2020) 11 एससीसी 343 9 (2022) 4 एससीसी 741 ए

जी.

एच.

अन्य साक्ष्य, न्यायालय को एक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों की बहुत सावधानी से जांच करनी होती है और यह निर्णय लेना होता है कि कौन सी घोषणाएं निर्भर करने योग्य हैं।"

9. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि न्यायालय को इस बात की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या मृत्यु घोषणा सत्य और विश्वसनीय है; क्या यह किसी व्यक्ति द्वारा उस समय दर्ज

किया गया है जब मृतक घोषणा करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ था; क्या यह किसी शिक्षण/दबाव/उकसावे के तहत किया गया है।मृत्युदंड की घोषणा दोषसिद्धि दर्ज करने का एकमात्र आधार हो सकती है और यदि यह विश्वसनीय और भरोसेमंद पाया जाता है, तो किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है।यदि कई मृत्यु घोषणाएँ हैं और उनके बीच विसंगतियाँ हैं, तो मजिस्ट्रेट की तरह उच्च अधिकारी द्वारा दर्ज की गई मृत्यु घोषणा पर भरोसा किया जा सकता है। हालाँकि, यह इस शर्त के साथ है कि इसकी सच्चाई के बारे में किसी भी संदेह को जन्म देने वाली कोई परिस्थिति नहीं है।यदि ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें घोषणा स्वेच्छा से नहीं की गई है और किसी अन्य साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है, तो न्यायालय को किसी व्यक्तिगत मामले के तथ्यों की बहुत सावधानी से जांच करनी चाहिए और यह निर्णय लेना चाहिए कि कौन सी घोषणाएं निर्भर करने योग्य हैं।10. वर्तमान मामले में, दो मृत्यु घोषणाएं हैं।पहला समय में सुश्री वाणी गोपाल शर्मा (डी. डब्ल्यू.-1) द्वारा दर्ज किया गया है और दूसरा सुश्री कंचन नरियाला (पी. डब्ल्यू.-6) द्वारा दर्ज किया गया है।अपनी पहली मृत्यु घोषणा में (एक्स। डीओ/सी), मृतक मंजीत कौर ने अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों को दोषमुक्त कर दिया है।दूसरी मृत्यु घोषणा में (उदा. पीई), उसने अपीलार्थी के साथ-साथ उसके माता-पिता को भी फंसाया है।पहली मृत्यु घोषणा में (उदा. डी. ओ./सी.), उसने कहा कि उसे बुखार हो रहा था और गलती से उसने हरे रंग की एक और दवा ले ली।सुश्री वाणी गोपाल शर्मा (डी. डब्ल्यू.-1) द्वारा उनसे एक विशिष्ट प्रश्न किए जाने पर कि क्या उन्हें किसी पर संदेह है, उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया है।पहली मृत्यु घोषणा (उदा. डी. ओ./सी.) का समर्थन डॉ. सोबती (पीडब्लू-1) ने भी किया है जिसमें कहा गया है कि रोगी अपने पूरे बयान के दौरान होश में रही।11. अपनी दूसरी मृत्यु घोषणा में (एक्स। पीई), उसने कहा है कि अपीलार्थी के पिता और माँ ने उसे पकड़ लिया और अपीलार्थी ने उसे जबरन दवा दी।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

12. यह ध्यान देने योग्य है कि अभियोजन पक्ष ने सुश्री वाणी गोपाल शर्मा (डी. डब्ल्यू.-1) से पूछताछ नहीं की थी, जिन्होंने पहली मृत्यु घोषणा (एक्स. डी. ओ./सी.) और इसलिए, बचाव पक्ष को उसकी डी. डब्ल्यू.-1 के रूप में जांच करने की आवश्यकता थी।उसके साक्ष्य के अवलोकन से पता चलता है कि

एच.

एएसआई रंजीत सिंह ने अनुरोध करते हुए डॉ. सोबती (पीडब्लू-1) के अस्पताल में जाकर उनसे पूछा कि क्या श्रीमती मंजीत कौर बयान देने के लिए उपयुक्त हैं और इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि वह बयान देने के लिए उपयुक्त हैं।इसके बाद उन्होंने मृतक मंजीत कौर का बयान दर्ज किया।उसने कहा कि जब वह बयान दर्ज कर रही थी, तो डॉ. सोबती (पीडब्लू-1) के अलावा कोई भी वहां मौजूद नहीं था और बाकी सभी को बाहर जाने के लिए कहा गया था।उन्होंने कहा कि उन्होंने पाया कि मृतक मंजीत कौर स्वस्थ दिमाग में थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें आराम करने के लिए कुछ समय दिया ताकि वह खुद रचना कर सकें और स्वेच्छा से बयान दे सकें।उसने कहा कि वह संतुष्ट है कि मृतक मंजीत कौर स्वेच्छा से बयान देने के लिए तैयार थी। इसके बाद उनका बयान दर्ज किया गया।उसका बयान दर्ज करने के बाद मृतक मंजीत कौर के दाहिने अंगूठे का निशान लिया गया।उसने अपदस्थ कर दिया कि मृतक मंजीत कौर पूरे समय होश में रही और उसने इस आशय का एक प्रमाण पत्र जोड़ा।उन्होंने डॉ. सोबती (पीडब्लू-1) द्वारा जारी प्रमाण पत्र के संबंध में भी बयान दिया है।

बी.

सी.

13. सुश्री वाणी गोपाल शर्मा (डी. डब्ल्यू.-1) से अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा जिरह की गई।अपनी जिरह में, उसने दोहराया है कि उसने खुद को संतुष्ट किया था कि मृतक मंजीत कौर स्वेच्छा से बयान दे रही थी और तभी उसने इसे दर्ज किया और अपना बयान दर्ज करने के बाद खुद को भी संतुष्ट किया।

डी.

14. सुश्री कंचन नरियाला (पीडब्लू-6), जिन्होंने दूसरी मृत्यु घोषणा (एक्स। पीई) ने यह भी कहा है कि उन्होंने खुद को संतुष्ट किया था कि मृतक मंजीत कौर स्वेच्छा से बयान दे रही थीं। उनके बगल में बैठे परिचारकों को परिसर छोड़ने के लिए कहा गया।उसने कहा कि जब वह बयान दर्ज कर रही थी, तो मृतक मंजीत कौर को छोड़कर कोई भी मौजूद नहीं था।उसने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि उसने चिकित्सा अधिकारी से इस आशय का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर विचार नहीं किया कि मृतक मंजीत कौर बयान देने के लिए उपयुक्त थी।उसने स्वीकार किया है कि उसने L.N.J.P अस्पताल के किसी भी चिकित्सा अधिकारी से कोई राय नहीं ली, जहाँ उसने मृत्यु की घोषणा दर्ज की थी।उसने यह भी स्वीकार किया है कि मृतक मंजीत कौर के पिता और बहन भान सिंह (पीडब्लू-13) और कमलेश कौर (पीडब्लू-11) अस्पताल में मौजूद थे।

ई.

एफ.

जी.

15. वर्तमान मामले में, हम दो मृत्यु घोषणाओं का सामना कर रहे हैं, जो एक दूसरे के लिए पूरी तरह से असंगत और विरोधाभासी हैं।दोनों न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए जाते हैं।एक कठिन प्रश्न जिसका हमें उत्तर देना है, वह यह है कि मरने वाली घोषणाओं में से किस पर विश्वास किया जाना चाहिए।

एच.

365

माखन सिंह बनाम हरियाणा राज्य [बी. आर. गवई, जे.] ए.

ए.

16. पहली मृत्यु घोषणा (उदा. डी. ओ./सी.) सुश्री वाणी गोपाल शर्मा (डी. डब्ल्यू.-1) द्वारा दर्ज किया गया है।उक्त के अवलोकन से पता चलता है कि मृतक मंजीत कौर का बयान दर्ज करने से पहले, डॉ. सोबती (पीडब्लू-1) ने जांच की थी कि क्या वह बयान देने के लिए मानसिक और सचेत स्थिति में थी।प्रमाणन के बाद, सुश्री वाणी गोपाल शर्मा (डी. डब्ल्यू.-1) ने खुद को संतुष्ट किया कि मृतक मंजीत कौर स्वेच्छा से बयान दे रही थी या नहीं और उसके बाद अपना बयान दर्ज किया।उक्त मृत्यु घोषणा (उदा. डी. ओ./सी.) का समर्थन डॉ. सोबती (पीडब्लू-1) ने भी इस टिप्पणी के साथ किया है कि मृतक मंजीत कौर बयान देते समय होश में थीं।सुश्री वाणी गोपाल शर्मा (डी. डब्ल्यू.-1) ने यह भी कहा कि बयान देने के बाद भी, उन्होंने मृतक से पुष्टि की कि क्या बयान उनके द्वारा स्वेच्छा से दिया गया था।

बी.

सी.

17. इसके विपरीत, जहाँ तक दूसरी मृत्यु घोषणा की बात है (उदा. पीई) जिसे एक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री कंचन नरियाला (पीडब्लू-6) ने 3 दिनों के बाद दर्ज किया था, यह बयान देने के लिए मृतक मंजीत कौर की फिटनेस के संबंध में डॉक्टर द्वारा जांच किए बिना दर्ज किया गया था।हालांकि बयान L.N.J.P अस्पताल में दर्ज किया गया है और हालांकि डॉक्टर उपलब्ध थे, सुश्री कंचन नरियाला (पीडब्लू-6) ने अस्पताल में उपलब्ध डॉक्टरों से मृतक की चिकित्सा स्थिति की जांच कराना आवश्यक नहीं पाया।यह भी ध्यान देने योग्य है कि सुश्री कंचन नरियाला (पीडब्लू-6) ने स्वयं स्वीकार किया है कि भान सिंह (पीडब्लू-13) और कमलेश कौर (पीडब्लू-6)11), मृतक मंजीत कौर के पिता और बहन अस्पताल में मौजूद थे। दूसरी मृत्यु घोषणा की संभावना (उदा. पी. ई.) उसके रिश्तेदारों द्वारा पढ़ाए जाने के बाद दिए

जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है।18. इतना ही नहीं, के. के. राव (डी. डब्ल्यू.-2) की गवाही का उल्लेख करना भी प्रासंगिक है, जो पुलिस उपाधीक्षक (डी. एस. पी.) थे।उन्होंने अपने बयान में इस प्रकार कहा हैः

डी.

ई.

एफ.

"हालाँकि, किसी भी गवाह ने उस बयान में श्रीमती मंजीत कौर के विवरण का समर्थन नहीं किया।मेरी जाँच के अनुसार उक्त कथन दिनांक 24.4.1998 श्रीमती मंजीत द्वारा उसके रिश्तेदारों द्वारा पढ़ाए जाने के बाद दिया गया था और इसमें घटना का सही संस्करण नहीं था।"

जी.

19. यह भी ध्यान देने योग्य है कि अभियोजन पक्ष ने सुश्री वाणी गोपाल शर्मा (डी. डब्ल्यू-1) और के. के. राव, डी. एस. पी. (डी. डब्ल्यू-2) से पूछताछ नहीं की थी।इसलिए यह निष्पक्षता और निष्पक्षता के संबंध में एक गंभीर संदेह पैदा करता है।

एच.

आई. ओ. से। इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक ही साक्ष्य के आधार पर, निचली अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए, अपीलार्थी के पिता और माता को बरी कर दिया है। मामले के उस दृष्टिकोण में, हमारे विचार में, उसी साक्ष्य पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि अनुचित थी।20. इसलिए हम पाते हैं कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, पहली मृत्यु घोषणा (उदा. डी. ओ./सी.) को दूसरे (उदा. पीई)।किसी भी मामले में, संदेह का लाभ जो निचली अदालत द्वारा अन्य अभियुक्त को दिया गया है, वर्तमान अपीलार्थी को समान रूप से दिया जाना चाहिए था, जब तीनों अभियुक्तों के खिलाफ साक्ष्य पूरी तरह से समान था।

बी.

सी.

21. फैसला देने से पहले, हम दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील श्री पीयूष हंस द्वारा किए गए श्रमसाध्य प्रयासों के लिए अपनी सराहना दर्ज करते हैं।22. परिणाम में, हम निम्नलिखित क्रम पारित करते हैंः

डी.

((i) अपील की अनुमति है;

((ii) 2002 की आपराधिक अपील में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 15 मई 2009 को पारित निर्णय और 1998 के सत्र मामले संख्या 55 में निचली अदालत द्वारा 13/16 जुलाई 2002 को पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया गया है।

ई.

(iii) अपीलार्थी को सभी आरोपों से बरी कर दिया जाता है और उसके जमानत बांड को खारिज कर दिया जाता है।

23. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, उपरोक्त शर्तों में निपटाए जाएंगे।

एफ.

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

जी.

एच.